















# कोरिया फ्रेंटलाइन

**सड़क सुरक्षा  
समिति की  
बैठक**

सुरक्षित कांवर यात्रा के लिए अधिकारी सड़कों का विशेष ध्यान रखें: एसपी श्री परिहार

छ.ग.फ्रेंटलाइन  
बैंकुंठपुर। कलेक्टर सभाकश में बुधवार शाम को जिला सर्वीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें उन्होंने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों को यात्रायात नियमों का पालन करने और जागरूक करने के लिए किए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह एवं पुलिस अधीकारी सुरक्षा सुरक्षा दुर्घटनाओं में अधिक मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने अथवा संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीकारी सुरक्षा एवं परिहार ने हात स्पृष्ट के रूप में विद्वित किए गए ऐसे स्थलों पर जहाँ सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मृत्यु या गंभीर रूप से घायल होने अथवा संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीकारी सुरक्षा दुर्घटनाओं को रोकने और नागरिकों को यात्रायात नियमों का पालन करने और जागरूक करने के लिए डिवाइडर, स्पॉड ब्रेकर, रिप्लेक्टर या संकेत चैवर लगाने सहित जल्दी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। साथ ही नार पालिका, जनपद पंचायत और पुलिस अधीकारी श्री परिहार ने यात्री और स्कूल बसों की जांच करने, और वरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने, और बसों में कैमरा और महिला कर्मचारी रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने आयोजित किया गया।



निर्देश दिए। कलेक्टर श्री लंगेह ने खरवत चैक, चैदाहा पेट्रोल पंप, जमाहना बायपास आदि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। अबकारी विभाग के अधिकारी को अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए सड़क किनारे होटल, रेस्टोरेंट लगाने सहित जल्दी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। साथ ही नार पालिका, जनपद पंचायत और पुलिस अधीकारी श्री परिहार ने यात्री और स्कूल बसों की जांच करने, और वरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने, और बसों में कैमरा और एसपी ने आम बाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि बाहन चालते समय

सड़क किनारे अतिक्रमण, दुकान, ठेला आदि को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। अबकारी विभाग के अधिकारी को अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए सड़क किनारे होटल, रेस्टोरेंट लगाने सहित जल्दी कार्यवाही के लिए डिवाइडर, स्पॉड ब्रेकर, रिप्लेक्टर या संकेत चैवर लगाने सहित जल्दी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। साथ ही नार पालिका, जनपद पंचायत और पुलिस अधीकारी श्री परिहार ने यात्री और स्कूल बसों की जांच करने, और वरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने, और बसों में कैमरा और एसपी ने आम बाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि बाहन चालते समय

कलेक्टर ने ली डीएलएमसी एवं कृषि विभाग की समीक्षा बैठक

कृषकों के इकेवाईसी तथा आधार सीडिंग शतप्रतिशत करने के दिये निर्देश



छ.ग.फ्रेंटलाइन एमसीबी। कलेक्टर डी.राहुल वैकेट की अध्यक्षता में कलेक्टर कायालय के सभा कक्ष में आज डीएलएमसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल मानिटरिंग कमेटी) एवं कृषि विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिले के तीनों विकासखंड के सीडिंग को पूर्ण करके, नवीन कृषक पंजीयन कर जिले के श.प्रतिशत किसानों को योजना का लाभ दिलाने तथा जिले में राशी, कोदो सहित अन्य मिलेट फसलों का प्रत्येक विकास खण्ड में व्यथाशीघ्र वितरण करने निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ख्रीफ 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में संचालित फसल बीमा योजनाएं जिले की समस्त आदिम जाति सहकारी समितियों में भंडारित बीज, खाद एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विशेष समीक्षा की गई तथा जिले के अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाकी अनियन्त्रित किये जाने के लिए उन्होंने एक विवरण दिए। कृषकों के इ.केवाईसी एवं आधार सीडिंग रहेंगे तो भविष्य में शासकीय योजनाओं लाभ कृषकों होगा। कृषि विभाग के उप संचालक श्री लाल सिंह सहित अन्य योजनाएं जिले में विवरण दिए गए। 24 जुलाई 2024 तक जिले के 752 अक्षयी कृषकों को फसल बीमा योजना से जोड़ा गया है एवं 31 जुलाई 2024 तक कम से कम 3000 अक्षयी कृषकों को योजना से जोड़े हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जिले की समस्त सहकारी समितियों में भंडारित बीज एवं रासायनिक उर्वरक को कृषकों को वितरण करते हुए रासायनिक उर्वरकों की आने वाली मांग अनुरूप भंडारण करते हुए समय पर उपलब्ध है अथवा जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

**विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण के संचालन हेतु इच्छुक अनुभवी संस्था से आवेदन आमंत्रित**

छ.ग.फ्रेंटलाइन बैंकुंठपुर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण प्रावधानों के तहत जिले में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बालों 06 वर्ष से काम आयोजित किया जाना वालों की आवश्यकता बोहरा, बैंसहारा, परिस्तर, अधर्विर्ति, बाल भिक्षुक, बाल स्तरकी से पीड़ित, शोषण का भिकारा, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में बाल देखरेख

संस्था यथा- विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण के संचालन हेतु इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था/संगठन से निर्धारित प्रारूप में 6 अगस्त 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अधिकरण 10 बच्चों की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था के रूप में संचालित होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है अथवा जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

कैलाशपुर पंचायत सचिव निलंबित, एसडीओ आरइएस के निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित

ग्राम पंचायत कैलाशपुर सरपंच होंगे पद से पृथक, भुगतान की गई राशि की होगी वसूली नहीं जाएगा। कलेक्टर कोरिया के निर्देशानुसार दोषियों पर कई सभी के जारी होंगे। जिले में श.साधकारी योजनाओं के क्रियावान्य में गडबडी करने वालों पर निरंतर कड़ी कार्यवाही जारी है। जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्टर कोरिया विनय कुमार लंगेह के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, नीति आयोग दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हो। विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अधिकरण 10 बच्चों की क्षमता वाली बाल देखरेख संस्था के रूप में संचालित होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध है अथवा जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

**महतारी वंदन योजना: महिलाओं के अर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा कदम**

महिलाओं के जीवन में परिवर्तन

प्रदेश का मुखिया वही जो समस्याओं का करें समाधान: श्रीमती कविता



प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत विवरण दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालन ने महिलाओं को अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार की यह पल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

महिलाओं के जीवन में परिवर्तन

श्रीमती कविता ने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो सबकी चिंता दूर करें, फैसलानियों से निजात दिलाए वही देश, प्रदेश और घर का मुखिया होता है। श्रीमती कविता ने बताया कि यह सरकार की अवश्यकता बोहरा, बैंसहारा, परिस्तर, अधर्विर्ति, बाल भिक्षुक, बाल स्तरकी से पीड़ित, शोषण का भिकारा, सड़क पर रहने वालों की देखरेख एवं संरक्षण की जांच करने के लिए उन्होंने एक विवरण दिए। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कार्यालय में अधिकारी एवं अधिकारी सुरक्षा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विवरण दिए। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कार्यालय में अधिकारी एवं अधिकारी सुरक्षा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विवरण दिए। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कार्यालय में अधिकारी एवं अधिकारी सुरक्षा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विवरण दिए। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण संचालित किये जाने हेतु संस्था/संगठन का सुसंगत अधिनियम, (सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973) के तहत पंजीयन होना अनिवार्य है, तथा बाल कार्यालय में अधिकारी एवं अधिक